रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092022-238813
CG-DL-E-14092022-238813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4150] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2022/भाद्र 23, 1944
No. 4150] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2022/BHADRA 23, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2022

सं. 32/2015–2020

विषयः आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 39 के अन्तर्गत आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 4331(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 तथा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (समय–समय पर यथा–संशोधित) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आयात नीति में संशोधन करती है और आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 39 की नीतिगत शर्त 2 को निम्नानुसार संशोधित करती हैः

एच एस कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीतिगत भार्त
39076110 39076930	पीईटी फ्लैक (चिप)	निषिद्ध	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 30. 08.2016 के का.ज्ञा. सं. 23–4/2009– एचएसएमडी और दिनांक 03.10.2019 के का.ज्ञा. सं. 23/66/2019 एचएसएम के अनुसार प्रयुक्त पीईटी बोतलों आदि से बने पीईटी बोतल के	निषिद्ध	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 30.08.2016 के का.ज्ञा. सं. 23–4/ 2009–एचएसएमडी और दिनांक 03.10.2019 के का.ज्ञा. सं. 23/66/2019 एचएसएम के अनुसार प्रयुक्त पीईटी बोतलों आदि से बने पीईटी बोतल के अपशिष्ट/स्क्रैप का आयात "निषिद्ध"

			अपशिष्ट/ स्क्रैप/ पीईटी फ्लैक्स का आयात "निषिद्ध" है।		है। तथापि, डीजीएफटी से प्राधिकारी–पत्र प्राप्त होने पर और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से उनके दिनांक 23.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/66/2019–एचएसएमडी के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के अधीन पीईटी फ्लेक्स के आयात की अनुमति दी गई है: i. एक इकाई आयात के लिए तब ही पात्र हो सकती है जब उसने पिछले वर्ष में क्षमता के कम से कम 70 प्रतिशत घरेलू अपशिष्ट का उपयोग किया हो। (उदाहरण के लिए 2022–23 हेतु अनुमति के लिए 2021–22 के उत्पादन को माना जाएगा) ii. वर्ष 2022–23 के लिए आयात वर्ष 2021–22 के उत्पादन के 20 प्रतिशत और इसके बाद पूर्ववर्ती वर्ष में प्रयुक्त वास्तविक क्षमता के 15 प्रतिशत हेतु प्रतिबंधित होगा। iii. 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त आयात पर उत्पादों के निर्यातों के तहत विचार किया जा सकता है। iv. इकाईयां उत्पादन के कम से कम एक वर्ष के बाद आयात हेतु पात्र होगी।

2. **अधिसूचना का प्रभाव:**

पीईटी फ्लेक्स का आयात पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र और डीजीएफटी से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के अधीन अनुमत किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/एम–32/एएम–03/पी.सी–2(क)/ई–1554]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2022

No. 32/2015-2020

Subject: Amendment in Import Policy Condition under Chapter 39 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 4331(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (as amended from time to time) read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, the Central Government hereby amends the Import Policy and revises the Condition No.2 of Chapter 39 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy) as under:

HS Code	Item Description	Existing Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Import Policy	Revised Policy Condition
39076110 39076930	— PET flake (chip)	Prohibited	The import of PET bottle waste/ scrap/ PET flakes made from used PET bottles etc is "Prohibited" as per OM No. 23-4/ 2009-HSMD dated 30-08-2016 and O.M. No.23/66/2019-HSM dated 03/10/2019 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change.	Prohibited	The import of PET bottle waste/scrap made from used PET bottles etc is "Prohibited" as per OM No. 23-4/2009-HSMD dated 30-08-2016 and O.M. No.23/66/2019-HSM dated 03/10/2019 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) However, import of PET Flakes has been permitted under an authorisation from DGFT and subject to NOC from MoEF&CC, in accordance with their O.M. No. 23/66/2019-HSMD dated 23.08.2022, subject to following conditions : i. A unit should be eligible for import only if it has used domestic waste to the extent at least 70% of the capacity in the previous year. (e.g. production of 2021-22 to be considered for 2022-23 permissions). ii. The imports for the year 2022-23 should be restricted to 20% of the production in the year 2021-22 and thereafter, 15% of the actual capacity utilized in the preceding year. iii. An additional import up to 10% may be considered against exports of the products. iv. Units would be eligible for import after at least one year of production.

2. <u>Effect of the Notification</u>:

Import of PET Flakes has been permitted subject to NOC from MoEF&CC and an authorisation from DGFT.

This issues with the approval of Minister of Commerce and Industry.

[F. No. 01/89/180/M-32/AM-03/PC-2 (A)/E-1554]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.14 22:37:25 +05'30'